

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन शाखा)
जिला जांजगीर-चाम्पा, छ.ग.

क्रमांक/ 751 /स्था.निर्वा./सू.का.अ. /2017

जांजगीर दिनांक 17 .11.2017

प्रति,

जिला सूचना अधिकारी
एन.आई.सी. जांजगीर
जिला - जांजगीर चाम्पा

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम २००५ की धारा ४(१) (बी) के अंतर्गत बनाये गये मैनुअल की सूचना अपलोड किये जाने बाबत।

-- ०० --

विषयांतर्गत सूचना के अधिकार अधिनियम २००५ की धारा ४(१) (बी) के अंतर्गत बनाये गये मैनुअल की सूचना १७ बिन्दुओ के आधार पर कार्यालय मैनुअल आधारित जानकारी तैयार कर निर्देशानुसार संलग्न कर शासकीय वेबसाईड में अपलोड किये जाने हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, स्थानीय निर्वाचन शाखा जांजगीर-चांपा, (छ.ग.)

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) (बी) के अंतर्गत बनाये गये मैनुअल की सूचना

स.क्र.	मैनुअल	सूचना
1	अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य :	स्थानीय निर्वाचन शाखा, जिला -जांजगीर चांपा सचिव राज्य निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ रायपुर के नियंत्रण में नगर पालिका /नगर पंचायत एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के मतदाता सूची तैयार कराने तथा मतदान (निर्वाचन) से संबंधित कार्य कराया जाता है।
2	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य :	निर्वाचन संबंधी समस्त शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के अन्तर्गत निहित है। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार निर्वाचन कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है :	राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा प्रख्यापित अधिनियमों/नियमों तथा अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों में चाही गयी सूचना उपलब्ध करायी जाती है। जिला जन सूचना अधिकारी /प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा चाही गई जानकारी अनुसार प्रदान किया जाता है।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान :	राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन शाखा)को सौंपे गये कार्यों का समयबद्ध रूप से निस्तारण जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों से कराया जाता है।
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख :	निर्वाचन संबंधी कार्यों के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नियम, अनुदेश, एवं निदेश प्राप्त होने पर अनुपालन किया जाता है। जिला निर्वाचन कार्यालय (स्थानीय) में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में राज्य शासन द्वारा प्रतिपादित नियम, विनियम एवं अनुदेश लागू होते हैं।
6	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण :	राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा जारी निर्वाचन विधि निर्देशिका आदि जिनका विवरण राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.cgec.nic.in पर उपलब्ध है।
7	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है :	राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के निर्देशों के अन्तर्गत निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों यथा निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, फोटो युक्त मतदाता सूची तैयार करने में जनता एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाता है।

8	ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण:	जिला निर्वाचन कार्यालय (स्थानीय निर्वाचन), जांजगीर चाम्पा में किसी बोर्ड, परिषद, समिति अथवा किसी निकाय का गठन नहीं किया जाता है।				
9	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	स.क्र.	कर्मचारी का नाम	पद नाम	मोबाईल नम्बर	
		1	डॉ.एस.भारतीदामन	कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी	07817-222208	
		2	श्री एस.अहिरवार	उप जिला निर्वाचन अधिकारी	07817-222323	
		3	श्री आर.पी.राठौर	सहायक अधीक्षक	9993443366	
		4	श्री एस.डी.मानिकपुरी	सहायक ग्रेड ०२	7697045254	
10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रामिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो	स.क्र.	कर्मचारी का नाम	पद नाम	दिनांक 01.07.2017 को निर्धारित वेतन	मंहगाई व अन्य भत्ता
		1	श्री आर.पी.राठौर	सहायक अधीक्षक	49000.00	शासनादेशानुसार
		2	श्री एस.डी.मानिकपुरी	सहायक ग्रेड ०२	37300.00	शासनादेशानुसार
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट	S.NO.	Head Details		Budget llocated	
		1	01-2015-00-101-0000-6262-01-001-V		800000	
		2	01-2015-00-101-0000-6262-01-003-V		1000000	
		3	01-2015-00-101-0000-6262-01-006-V		30000	
		4	01-2015-00-101-0000-6262-01-014-V		12000	
		5	01-2015-00-101-0000-6262-01-015-V		2000	
		6	01-2015-00-101-0000-6262-01-020-V		0.00	
		7	01-2015-00-101-0000-6262-03-001-V		5000	
		8	01-2015-00-101-0000-6262-04-001-V		1000	
		9	01-2015-00-101-0000-6262-04-002-V		15000	
		10	01-2015-00-101-0000-6262-04-005-V		2000	
		11	01-2015-00-101-0000-6262-04-007-V		2000	
		12	01-2015-00-101-0000-6262-04-008-V		2000	
		13	01-2015-00-101-0000-6262-43-000-V		393300	
		Total			2264300.00	

12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है	ऐसा कोई उपादान कार्यक्रम नहीं चल रहा है। अतः उपादान कार्यक्रम के लाभार्थियों के बारे में सूचना ज्ञापित किया जाना अपेक्षित नहीं है।		
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापनों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां	कार्यालय द्वारा रियायतें/परमिट से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जाता है।		
14	किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप से सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हो,	राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर की वेबसाइट www.cgec.nic.in सचिव राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।		
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित है	नहीं		
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां,	स. क्र.	प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पदनाम	जनसूचना अधिकारी का नाम एवं पदनाम
17	ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए	यथा समय अपडेट किया जायेगा।		

टीप :- कार्यालय कलेक्टर, जांजगीर चांपा के अधीन होने से इस शाखा में पृथक जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी नहीं है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)